भारत अमेरिका संबंधः एक समीक्षात्मक अध्ययन

दीपक कुमार
शोध छात्र
इतिहास विभाग
बी.आर.ए.बिहार विष्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

किसी भी देष की विदेष नीति उस राष्ट्र की नीतियों का एक भाग होता है। इसका दूसरा भाग गृह नीति होता है। कुछ विद्वान तो विदेष नीति को गृह नीति का विस्तार मानते हैं, जिसके आधार पर यह दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों का संचालन करता है।[1] घरेलू राजनीति की स्थिति विदेष नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। लेकिन समाकलीन विष्व में राज्यों की पारस्परिक निर्भरता अत्यधिक बढ़ गई है। अतः किसी राज्य की गृह नीति एवं राजनीति भी प्रायः विदेष नीति द्वारा प्रभावित होती है।

सामान्यतः विदेष नीति किसी राज्य की वह नीति है जो कोई राज्य अंर्तराष्ट्रीय मंच पर अपनी रणनीति के रूप में अपनाता है। इसके माध्यम से किसी राज्य के राजनीतिक अभिजनों द्वारा उन उद्देष्यों का निर्धारण किया जाता है जो वे दूसरे राज्यों के संबंधों के संदर्भ में अपनाते हैं। यह वह साधन होता है जिसके माध्यम से वह राज्य विषेष अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहता है। सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा लिए गए निर्णय मूलतः विदेष नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिषा में अभिप्रेरित होते हैं।[2]

विदेष नीति के निर्धारण एवं संचालन में अनेकों प्रकार की गतिविधियाँ निहित होती है। जैसे– अपने राज्य की आर्थिक स्थिति, सैनिक स्थिति और अन्य राज्यों के संदर्भ में अपनी स्थिति जो उसके पड़ोसी राज्य होते हैं या उनके दुष्मन अथवा प्रतिस्पर्द्धि राज्य होते हैं। दूसरे वे अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं और इस आधार पर वे इस बात का निर्णय लेते हैं कि उन्हें किसर प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए। उन्हें एकांतवास की नीति अपनानी चाहिए अथवा आर्थिक संबंध स्थापित करना चाहिए या राजनीतिक एवं सैनिक गठबंधन करना चाहिए। तृतीय उसे अपनी नीति के संचालन के लिए वृहत सिद्धांतों का निष्पादन करना चाहिए और चतुर्थ उसे किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए अथवा प्रतिबद्धता रखनी चाहिए।[3]

किसी भी देष की विदेष नीति का मूल कारक उसका राष्ट्र हित होता है। प्रत्येक राज्य अपने विदेष नीति के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति अथवा अभिवृद्धि चाहता है। इसी आधार पर किसी देष की विदेष नीति को देखा या परखा जा सकता है। लेकिन इस क्रम में यह मौलिक प्रष्न उपस्थित होता है कि राष्ट्रीय हित क्या है? राष्ट्रीय हित की अवधारणा पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद कायम है। उनके बीच इस प्रष्न पर सामान्य सहमति का अभाव है। फिर भी इसे निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित किसी देष का वह हित होता है जो उस राज्य का राजनीतिक नेतृत्व जनमत की आम सहमति के आधार पर अपनाता है। इस क्रम में राजनीतिक नेतृत्व एवं जनमत परम्परागत समझदारी एवं तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी कारकों को ध्यान में रखता है। इस प्रकार के कारकों में देष की भौगोलिक स्थिति, स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखने के अन्य कारकों की समझदारी, देष की एकता और अखंडता, आर्थिक हितों की रक्षा एवं समृद्धि जैसे कारकों को ध्यान में विषेष रूप में रखता है। इनके राष्ट्रीय हित में देष का आत्म–सम्मान अंर्तराष्ट्रीय धरातल पर उस राज्य का महत्व भी निर्धारक कारक माना जा सकता है। इनके अलावा राष्ट्रीय सिद्धांतों की रक्षा एवं

अभिवृद्धि भी इसमें निहित होता है। राष्ट्रीय कारक का अर्थ किसी राज्य द्वारा अन्य राज्यों की तुलना अधिक से अधिक शक्ति की प्राप्ति भी माना जा सकता है।

किसी राज्य का राष्ट्रीय हित उस राज्य विषेष की अभिचेतना एवं वहाँ की जनता की संस्कृति पहचान की अभिव्यक्ति होती है। उस राज्य का आदर्ष एवं मूल्य मूलतः उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अभिव्यक्ति होती है। यह उस राज्य विषेष की संस्थाओं, परम्पराओं एवं आमलोगों की सोच का प्रतिफल होता है या दूसरे शब्दों में यों कहें कि उस राज्य का सिद्धांत, आर्थिक आवष्यकताएँ, शक्ति के कारक, जन आकाक्षाएँ, मौलिक परिस्थितियाँ एवं परिवेष, राष्ट्रीय मूल्य आदि राष्ट्रीय हित के निर्धारण में निर्णायक महत्व की होती है। प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित की पृष्ठभूमि में अन्य राज्यों के साथ संबंधों का संचालन करता है। जोसेफ फ्रैंकल ने इस संदर्भ में स्पष्ट भी किया है कि राष्ट्रीय हित की उदार व्याख्या सामान्यतः संभव है।[4]

राज्यों के बीच और अंर्तराष्ट्रीय हितों में टकराव अनिवार्य नहीं है और इन्हें समन्वित किया जा सकता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसी मान्यता पर भारत की विदेष नीति का संचालन किया। जबकि अमेरिका द्वारा शीतयुद्ध में परिवेष में प्रारंभिक वर्षों में अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता प्रदान करने के आधार पर कार्य किया। लेकिन, यदि किसी राज्य के राष्ट्रीय हित एवं अंर्तराष्ट्रीय हितों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह राज्य विषेष तो उस राज्य की नीति निर्माताओं का प्रथम दायित्व अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति होता है।[5]

विदेष नीति के निर्धारण एवं संचालन में राष्ट्रीय लक्ष्य का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। राष्ट्रीय लक्ष्य का निर्धारण किसी देष के नीति निर्धारक अधिकतम समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त करने के उद्देष्य से करते हैं। इस प्रकार के लक्ष्य का निर्धारण नीति निर्धारक निर्धारित समय–सीमा के अंतर्गत प्राप्त करना चाहता है। वह इन लक्ष्यों का विष्लेषण करता है जो वह निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार का निर्धारित लक्ष्य प्रायः स्थिर होता है। यह राज्य की समकालीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि निर्धारित किया जाता है जिसे कोई राज्य निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार राज्य का लक्ष्य परिस्थितिजन्य होता है और इसमें राष्ट्रीय हित की तरह स्थायित्व नहीं होता है। लेकिन उद्देष्यों की तुलना में इसमें अधिक स्थायित्व होता है।[6]

परिस्थितिजन्य होने के कारण राष्ट्रीय लक्ष्य प्रायः एक निर्धारिक समय में प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है। जैसे स्वतंत्रोत्तर भारत में भारत की सरकार द्वारा विदेषों से खाद्यान्न आयात करने का निर्णय लिया गया ताकि आम जनता को खाद्याान्न मुहैया कराया जा सके और उन्हें भूख से मरने नहीं दिया जाय। इस प्रकार से यह तुलनात्मक दृष्टि से अल्पकालिक होने पर लक्ष्य परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे आज भारत खाद्याान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और वह अब नवीन तकनीक प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर आगे की ओर अग्रसर है। बल्कि, वह विदेषों को सीमित मात्रा में खाद्यान्न निर्यात भी करता है। लेकिन आज विष्व बाजार से अधिकतम कच्चा तेल प्राप्त करना इसका लक्ष्य बन गया है।[7]

इस प्रकार विदेष नीति अपने आप में एक साध्य है जो राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय लक्ष्यों, राष्ट्रीय उद्देष्यों एवं राष्ट्रीय सिद्धांतों पर आधारित होता है। लेकिन इसे अनेकों राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय नीति प्रभावित करती है। उन परिस्थितियों एवं परिवेषों को ध्यान में रखकर इसका समायोजन किया जाता है। विदेष नीति को प्रभावित एवं समायोजित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक साधन होता है। साधनों की उपलब्धता पर ही विदेष नीति के साध्य की प्राप्ति संभव होती है। साधन नीतियों पर आधारित होता है। नीति–निर्माताओं का परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है और उनके साधन सीमित होते

हैं। अतः राजनीतिज्ञों का दायित्व होता है कि वे यथासंभव वांछनीयता की संभावना के साथ सामयोजित करें।[8]

सामान्यतः विदेष नीति के अंतर्गत क्षमता संबंधी आंषिक प्रतिबद्धता के आधार पर आंषिक उद्देष्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। विदेष नीति के माध्यम से कोई भी उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है जो उसकी इच्छा होती है अथवा जो वह चाहता है।

किस राज्य के विदेष नीति के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में बहुत से कारक अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इन कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक उस पर्यावरण या परिवेष माना जा सकता है जिसके अंतर्गत इसका निर्धारण एवं क्रियान्वयन होता है। इस प्रकार के परिवेषों को तीन श्रेणियों में विमुक्त किया जा सकता है[9]–

प्रथम, कुछ परिवेष एवं परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो एक सामान्य घटना के रूप में उत्पन्न होती है, आती है और चली जाती है। इस पर नीति–निर्माता ध्यान नहीं देता है। द्वितीय, कुछ घटनाएँ, परिवेष एवं परिस्थितियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। विदेष नीति के संदर्भ में इनका विषेष महत्व होता है। अतः नीति निर्माताओं द्वारा उनपर खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। उनके सहायक उन्हें क्रमबद्ध रूप में उपस्थित करते है। एवं तीसरा, कुछ ऐसी घटनाएँ होती है जो किसी खास बात के साथ स्पष्ट रूप से उपस्थित होती है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं परिवेषों में नीति–निर्माता अपने मूल्यों एवं मान्यताओं के आधार पर नीतियों का निर्माण करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय हितों में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा एवं संघर्ष की स्थिति 1950 ई. में या उससे पूर्व ही उत्पन्न हुई जो निरंतर कायम रही। कुछ हद तक यह 1990 के दषक एवं उसके बाद भी कायम है। इसी पृष्ठभूमि में इन दोनों राज्यों के पारस्परिक संबंधों का सामान्य तौर पर आर्थिक संबंधों का विषेष रूप में विष्लेषण युद्धोत्तर काल में या शीतयुद्धोत्तर काल में किया जा सकता है।

संदर्भ सूची :–

1. नार्मन जे0 पेडलफोर्ड एवं जॉर्ज ए0 लिंकन, इंटरनेषनल पॉलिटिक्स, न्यूयार्क, पृ. 306
2. जोषुआ, एस. गोल्डस्टीन, इंटरनेषनल रिलेसन्स, पंचम संस्करण, पीयर्स एजुकेषन, दिल्ली, पृ. 155
3. डी. एन. मल्लिक, पोस्टवार इंटरनेषनल पॉलिटिक्स, वीणा मंदिर पब्लिषर्स, मुजफ्फरपुर, 1973, पृ. 105
4. जोसेफ फ्रैंकल, इंटरनेषनल रिलेषन्स, लंदन, 1964, पृ. 49
5. डी. एन. मल्लिक, पूर्व उद्धृत, पृ. 106
6. गोल्डस्टीन, पूर्व उद्धृत, पृ. 161
7. डी. एन. मल्लिक, पूर्व उद्धृत, पृ. 106
8. चार्ल्स ओ. लर्च, जूनियर एवं अब्दूल सईद, कन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेषनल पॉलिटिक्स, न्यू जर्सी, 1964, पृ. 16
9. डी. एन. मल्लिक, पूर्व उद्धृत, पृ. 107